



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ
आफिस कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-9, शास्त्री नगर, मेरठ

Email : upavps2@gmail.com



पत्रांक:

/ 07-12/25

दिनांक: 05/04/2025

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अद्योहरताक्षरकर्ता द्वारा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से, परिषद में अहं श्रेणी/ग्रुप में पंजीकृत व अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से, एकल-पट्टि पर ई-निविदा <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपरिथित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपरिथित में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, मेरठ-02, मेरठ के ऑफिस कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-9, शास्त्रीनगर, मेरठ स्थित कार्यालय में गठित समिति द्वारा निम्न विवरण के अनुसार ई-प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड/खोली जाएगी।

क्रं सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क+ जी.एस.टी. (रु0 में)	ठेकेदार की परिषद में अहं पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	6	5	7
1	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में बने मूल्यांकन केंद्र के समीप पार्किंग में इन्टरलाकिंग टाइल लगाने व आर0सी0सी0 ड्रेन बनाने का कार्य	35.00	0.70	01 माह	1500.00 + 18% G.S.T	श्रेणी-IV क, ग्रुप-i

शर्तः-

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से निविदा में उल्लिखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्नानुसार है), ई-निविदा निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	ब्रांच का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0एस0सी0 कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ।	यूनियन बैंक आफ इन्डिया	गढ़ रोड, शास्त्रीनगर मेरठ।	499102010037063	UBIN0549665

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्रं सं0	विवरण	दिनांक	समय
1	ई-निविदा प्रकाशन तिथि।	06.04.2025	-
2	निविदा डाउनलोड/अपलोड/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की प्रारम्भ तिथि।	07.04.2025	अपराह्न 5:00 बजे से
3	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की अन्तिम तिथि।	15.04.2025	अपराह्न 5:00 बजे तक
4	निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	16.04.2025	अपराह्न 5:00 बजे तक
5	वित्तीय विड खोले जाने की तिथि	17.04.2025	अपराह्न 1.00 बजे

- निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की रिथति में, निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप पर ₹0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ₹0 1/- के रेवेन्यू स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित हो, की स्कैन कापी निविदा के साथ ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- वी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस व अन्य कर, जो उ0 प्र0 सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की

- कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी0एसाइटी० का तत्त्वाग्रह प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एसाइटी० Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त, नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा।
- किसी भी निविदा अथवा समरत निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश, विना कारण बताये निररत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा।
9. समरत कार्य, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद/उ०प्र० लोक निर्माण विभाग/उ० प्र० जल निगम/MORTH/IRC/यू.पी.पी.सी.ए.ल.(विद्युत कार्यों हेतु) की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार, कराये जायेंगे।
 10. निविदा की बी०ओ०क्य० में अंकित कार्यों की मात्रा में किसी भी रीमा तक (+/-) परिवर्तन (बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी) हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 11. निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाईट www.upavp.in एवं उ०प्र० इलैक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईट्स को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
 12. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2/आडिट/08 टी०सी० दिनांक 08.06.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा विल ऑफ क्वान्टिटी के विरुद्ध डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त रिक्योरिटी/परफॉर्मेन्स गारन्ची, एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०री० जो कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड मेरठ-03, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मेरठ के नाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैध हो, के रूप में निविदा की वित्तीय विड खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर खण्ड कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी,
 13. कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें। ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग किये जाने की रिथति में यह माना जायेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थल का निरीक्षण/परीक्षण कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 14. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निररत कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
 15. निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
 16. उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेवर सेस की कटौती की जायेगी।
 17. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
 18. कार्य में प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चेकिंग/टेस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जायेगी।
 19. ई-टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह-श्रेणी एवं उससे उच्च श्रेणी के निविदादाता पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
 20. फर्म का ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० में पंजीकरण आवश्यक होगा।
 21. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमूलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 22. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, निविदा की दरें कम (Below) मानी जायेगी।
 23. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
 24. कार्य के विलम्ब होने की रिथति में, निविदादाता/फर्म पर पेनल्टी की बाध्यता लागू होगी।
 25. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में, नियमानुसार जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में, जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, निविदा स्वीकृति पत्र के निर्गमन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर जी०पी०डब्ल्य०-९ फार्म में उल्लिखित क्लाज-(1) के अनुसार जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध गठित करना होगा अन्यथा की रिथति में निविदा निरस्त करते हुये, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
 26. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ख्यूटी देय होगी।
 27. यदि निर्माण कार्य की जांच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिये ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
 28. डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि, कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद तीन वर्ष रहेगी, जिसके लिये कार्य की कुल लागत के एक प्रतिशत की वारन्टी धनराशि रोकी जाएगी, जो निर्धारित अवधि के पश्चात ही अवमुक्त की जाएगी।
 29. ई-निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र (टी-4, टी०-५, टी०-६) जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो वित्तीय निविदा खुलने की तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
 30. शासनादेश सं०- 1345 / 86-2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लायी गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये



- जाने के प्रमाण रचना द्वारा कार्य की प्रमाणित प्रति अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली नियमानुसार की जायेगी।
31. निविदादाता द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी के रच-स्वामित्व/अनुबन्धित होने सम्बन्धी प्रपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
32. निर्माण रथल पर श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
33. निर्माण के दौरान जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साईन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायर्वर्जन हेतु अरथायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
34. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर फर्म को सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
35. कार्य को निर्धारित समय के अन्तर्गत, कार्य की प्राथमिकता के अनुसार चरणवार इस प्रकार सम्पादित कराना होगा कि स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं सभी कार्य सुगमतापूर्वक, समयबद्ध/गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकें।
36. अन्य नियम व शर्तें निविदा की वित्तीय बिड के अनुसार होगी।
37. जी०पी०डब्ल्यू०-९ फार्म में प्राविधानित नियम व शर्तें अनुबन्ध में लागू रहेंगी।
38. एन०जी०टी० सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा अनुबन्ध गठन के समय शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
39. उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन/सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
40. किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रूप से विलम्बित होने अथवा सर्वर त्रुटि होने के कारण बिड डाउनलोड/अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
41. ठेकेदार द्वारा समस्त कार्य पूर्ण कर, सम्बन्धित विभाग को हस्तगत करने के उपरान्त ही अन्तिम बीजक का भुगतान किया जायेगा।

(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पृष्ठ १०५ /उपरोक्तानुसार/ तद दिनांक:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, ग्लोबल कंस्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
- इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-०१/०२/०३/०४, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मेरठ/सहारनपुर।
- नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता